संख्या-16/2022/1298/63-व0उ0-2022-50(एच)/06टी.सी.

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2022**

विषयः- **उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति-2014 अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-677/ह0क0-ब्याजउपा0यो0/2022-23 दिनांक 20.10.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति-2014 अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 125.00 लाख के सापेक्ष 09 वस्त्र इकाईयों की दावा धनराशि हेतु रु0 87,88,410.00 (रुपये सत्तासी लाख अठ्ठासी हजार चार सौ दस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत की जाने वाली धनराशि शासनादेश संख्या-769/63व0उ0-2016-50(एच)/2006टी.सी-2 दिनांक 10.06.2016 के निहित प्राविधानों के तहत व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 में द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एक मुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी अपितु लाभार्थी इकाइयों के खाते में डी0बी0टी0 द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व उपरोक्त इकाईयों की पात्रता तथा जमा धनराशि एवं दावा की गयी धनराशि की वैधता की पुष्टि कर अनिवार्य रूप से संतुष्ट हो लंेगे।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रु0 87,88,410.00 (रुपये सत्तासी लाख अठ्ठासी हजार चार सौ दस मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-04-उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः-उपरोक्त सूची।

भवदीय,
(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2022/1298(1)/63-व0उ0-2022 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।